संख्या 3059/XVII(1)-1/2005-06(घोषणा)/2004

प्रेषक,

एस. के. मुटटू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

देहरादून : दिनांक 30 मार्च, 2005

समाज कल्याण अनुभाग-1

विषयः राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (175क्षमता), बिन्सौण, त्यूनी, देहरादून के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) के पत्र संख्या 13/मु.मं.का.-3/09-घोषणा/04 दिनांक 17फरवरी, 2004 की छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (175क्षमता), बिन्सौण, त्यूनी, देहरादून (प्राइमरी स्तर) के भवन निर्माण हेतु निर्माण इकाई उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम लि., देहरादून द्वारा प्रस्तुत आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रू. 271.10लाख (रू. दो करोड़ इकहत्तर लाख दस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2004-05 में रू. 50लाख की धनराशि निम्नानुसार व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाए।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नॉर्म है। स्वीकृत नॉर्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

8(ए). निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

9. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुयल व शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत धारा के लेखाशीर्षक 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-

शिक्षा-01-केन्द्र पोषित/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0101-रा.आ.प.विद्यालय का निर्माण-24-वृहत् कार्य निर्माण के मानक मद के नामे डाला जाएगा तथा पुनर्विनियोजन कॉलम-1 की बचतों से किया जाएगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1789/XXVII(2)/2005 दिनांक 30मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

संख्या 3051 (1)/XVII(1)-1/2005 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल
7. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड फाइल।
11- प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम, देहरादून।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
उपसचिव।

प्रपत्र – बी.एम. – 15
(पैरा – 158)

[illegible]

वित्तीय वर्ष 2004-05
[illegible]
[illegible] – 15

(धनराशि हजार रुपये में)

[illegible] का विवरण	मानक मदवार आयोजनेत्तर व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (बचत धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-6 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (कालम 1 में)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
[illegible]	—	5000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
योग 10000	—	5000	5000	1404	46404	8596	

[illegible]

(एस.के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव, [illegible]

[illegible]
संख्या-(789(I)) /XXVII(2)/2004-05
देहरादून 30 मार्च 2005

[illegible]
30/3/2005

[illegible]

संख्या 3059 [illegible]

[illegible]